अध्याय 9

कोयला वितरण एवं विपणन

कोयला वितरण एवं विपणन

1. विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात संयंत्रों को कोयले का आबंटन

इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल का आबंटन इससे पहले कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता था। तथापि, कोकिंग कोल को नियंत्रण मुक्त करने के बाद कच्चे कोकिंग कोल और वॉश्ड कोकिंग कोल की आपूर्ति भी कोयला कंपनियों द्वारा सरकारी इस्पात संयंत्रों को लिंकेज नीलामी को शुरू करने के बाद कच्चे कोकिंग कोल का आवंटन लिंकेज नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है। उनकी मौजूदा एमओयू वचनबद्धताओं के आधार पर की जाती है।

2. कोल इंडिया लिमिटेड से क्षेत्र–वार कोयले का उठान (अनंतिम)

वर्ष 2020–21 (जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक) की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से क्षेत्र–वार कोयले का उठान निम्नानुसार है:–

(आंकड़े मिलियन टन)

क्षेत्र	एएपी लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति %
इस्पात*	8.66	1.50	17
विद्युत (उपयोगिताएं) **	527.06	445.94	85
कैप्टिव पावर***	60.50	45.88	76
सीमेंट	5.44	4.76	87
स्पांज आयरन	14.75	9.48	64
अन्य	79.92	66.30	83
कुल प्रेषण	696.33	573.86	82
कोलियरी खपत	0.19	0.20	106
योग	**696.51**	**574.05**	**82**

*: इसमें वाशरियों को दिया गया कोकिंग कोल, तथा इस्पात संयंत्रों को की गई प्रत्यक्ष तथा मिश्रित आपूर्ति शामिल है।

** : इसमें परिष्करण तथा विद्युत को विशेष फारवर्ड ई–नीलामी के लिए वॉशरी और बीना डिशेलिंग संयंत्र को दिया गया नान कोकिंग कोयला शामिल है।

***: कैप्टिव पावर जिसमें उर्वरक क्षेत्र को प्रेषण शामिल है।

3. एससीसीएल से क्षेत्र वार कोयले का उठानः

वर्ष 2020 के दौरान एससीसीएल से क्षेत्र–वार कोयले का उठान निम्नानुसार है:–

(मिलियन टन में)

क्षेत्र	एएपी लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति %
विद्युत (संयत्र)	55.91	40.48	72.40
विद्युत (सीपीपी)	3.71	2.56	68.98
सीमेंट	3.23	1.72	53.25
स्पंज आयरन/सीडीआई	0.30	0.05	16.87
अन्य	5.22	3.10	59.34
योगः एससीसीएल	**68.37**	**47.91**	**70.07**

4. विद्युत गृहः

कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल से जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले का उठान 445.94 मिलियन टन था। कच्चे कोयले के प्रेषण में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 1.2% की कमी के साथ लगभग 7.3 मिलियन टन की कमी आई।

एससीसीएल

जनवरी, 19 से दिसंबर, 20 के दौरान तापीय विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले का वास्तविक उठान 54.70 मि.ट. था जो जनवरी, 20 से दिसंबर, 20 के दौरान कम होकर 40.48 मि.ट. हो गया है।

5. सीमेंट संयंत्रः

कोल इंडिया लिमिटेड

जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 5.43 मिलियन टन की तुलना में 4.76 मिलियन टन(अनंतिम) था। गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रेषण में 12: की कमी के साथ 0.67 मिलियन टन तक कमी हुई है।

एससीसीएल

जनवरी, 19 से दिसंबर, 19 के दौरान सीमेंट संयंत्रों द्वारा कोयले का वास्तविक उठान 2.47 मि.ट. था जो जनवरी, 20 से दिसंबर, 20 के दौरान कम होकर 1.72 मि.ट. हो गया।

6. लघु, मध्यम तथा अन्य उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण :

लघु, मध्यम तथा अन्य उपभोक्ताओं (जिनकी आवश्यकता प्रति वर्ष 10,000 टन से कम है) को कोयले की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को आबंटन हेतु सीआईएल द्वारा 8 मिलियन टन मात्रा निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर, 2020 तक, 10 राज्यों में वर्ष 2020–21 के लिए 4.74 मि.ट. की मात्रा हेतु 14 राज्य नामित एजेंसियों के नामांकन भेजे हैं जिनमें से 7 राज्य एजेंसियों में कुल 1.52 मि.ट. मात्रा के लिए एफएसए हस्ताक्षरित किए गए हैं।

7. कोयले की ई–नीलामी

कोल इंडिया लिमिटेडः एनसीडीपी प्रावधान के अनुसार कोयले की बिक्री बाजार निर्धारित मूल्य पर इलैक्ट्रोनिक नीलामी (ई–नीलामी) के जरिए नियमित आधार पर की जा रही है। वर्तमान में सीआईएल निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ई–नीलामी कर रहा है:

- स्पॉट ई–नीलामी: इस योजना के अंतर्गत, कोई भी भारतीय खरीदार अपनी स्वयं की खपत या ट्रेडिंग के लिए सरल और पारदर्शी ढंग से उपभोक्ता अनुकूल एकल खिड़की के माध्यम से कोयला खरीद सकते हैं। स्पॉट ई–नीलामी नवंबर, 2007 से चल रही है।
- विशेष स्पॉट ई–नीलामी: विशेष स्पॉट ई–नीलामी की शुरुआत 2015–16 के दौरान की गई थी। ट्रेडर्स सहित कोई भी भारतीय खरीदार विशेष स्पॉट ई–नीलामी के तहत कोयला खरीद सकते हैं, इसमें उठान की लंबी वैध अवधि है।
- विशेष फॉरवर्ड ई–नीलामी: विशेष फॉरवर्ड ई–नीलामी वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी, ताकि विद्युत उत्पादकों को उदार उठान अवधि के साथ कोयला उपलब्ध हो सके।
- विशेष ई–नीलामी: विशेष ई–नीलामी सीपीपी सहित गैर–विद्युत उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी जिसमें उठान की उदार अवधि है।
- आयात विस्थापन के लिए विशिष्ट स्पॉट ई–नीलामी: 'आत्म निर्भरता' के अनुसरण में आयातों पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 के दौरान आयात विस्थापन (केवल कोयला आयातकों हेतु) के लिए विशिष्ट स्पॉट ई–नीलामी स्कीम 2020 को शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय कोयला आयातक (व्यापारी सहित) उदार की उठान अवधि के साथ कोयला उपलब्ध करा सकता है।

8. वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 (दिसम्बर, 20 तक) तक आयोजित नीलामी निम्नानुसार है:

नीलामी	स्पॉट	विद्युत के लिए विशेष फॉरवर्ड	गैर–विद्युत के लिए विशेष	विशेष स्पॉट	आयात प्रतिस्थापन के लिए विशेष स्पॉट	कुल
2020–21 (अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020)						
आवंटित कुल मात्रा (मि.टन में)	29.0	23.0	19.8	2.3	7.3	81.4
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	4435.6	2017.6	2742.5	389.4	1282.0	10867.1
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	5475.7	2111.3	2992.3	440.4	1512.0	12531.7
अधिसूचित मूल्य में वृद्धि (% में)	23	5	9	13	18	15
2019-20						
आवंटित कुल मात्रा (मि.टन में)	29.8	27.1	8.0	1.0		66.0
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	4759.7	3393.0	1381.6	114.6		9648.8
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	7774.3	4387.4	1839.2	149.8		14150.7
अधिसूचित मूल्य से अधिक वृद्धि(प्रतिशत में)	63	29	33	31		47

9. विद्युत के लिए विशेष नीलामी:

विद्युत उत्पादकों के लिए विशेष फारवर्ड ई–नीलामी वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी जिसे उन उपभोक्ताओं को जिन्हें कोयले की आवश्यकता थी, को कोयला उपलब्ध कराने हेतु जारी रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (अप्रैल, 20–दिसम्बर, 20) के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को लगभग 23 मि.ट. कोयला आवंटित किया गया था।

10. गैर विद्युत के लिए विशेष नीलामी:

गैर–विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विशेष ई–नीलामी स्कीम को वर्ष 2015–16 में शुरु किया गया था ताकि गैर–विद्युत उपभोक्ताओं (सीपीपी सहित) को कोयला उपलब्ध कराया जा सके और इसे जारी रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (अप्रैल, 20–दिसम्बर, 20) के दौरान गैर विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की 19.8 मि.ट. मात्रा आवंटित की गई थी।

11. एससीसीएल में कोयले की ई–नीलामी:

एससीसीएल ने कोयले की स्पॉट ई–नीलामी दिसंबर, 2007 में शुरू की है। वर्ष 2019–20 और 2020–21 (दिसम्बर, 20 तक) आयोजित स्पॉट ई–नीलामी इस प्रकार हैं:

(मिलियन टन में)

स्पॉट ई–नीलामी	2020–21	2020–21 (अप्रैल से दिसं. 20 तक)
आवंटित कुल मात्रा (मि.टन में)	1.615	0.47
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपयेमें)	306.22	119.14
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	361.50	125.39
अधिसूचित मूल्य में वृद्धि (: में)	18.05	5.24

12. परिवहन के साधन

कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल में कोयले और कोयला उत्पादों के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मैरी गो राउंड पद्धति (एमजीआर), कन्वेयर बैल्ट और मल्टी मॉडल रेल एवं समुद्री मार्ग हैं। जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 के दौरान कोयला और कोयला उत्पादों की कुल ढुलाई में परिवहन के इन साधनों का अनुमानित योगदान नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	परिवहन के साधन	शेयर:
1	रेलवे (रेलवे एवं समुद्री सहित)	56
2	सड़क	23
3	एमजीआर	19
4	बैल्ट–कन्वेअर्सध्रोपवेज	2

एससीसीएल

एससीसीएल में कोयले की ढुलाई के महत्वपूर्ण माध्यम रेलवे, सड़क, एनटीपीसी मैरी–गो–राउंड सिस्टम (एमजीआर) है। एरियल रोपवे द्वारा हेवी वाटर प्लांट के लिए कम कोयले की ढुलाई की जा रही है। जनवरी–दिसंबर, 2020 के दौरान कोयले की कुल ढुलाई में ढुलाई के इन माध्यमों के शेयर का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	माध्यम	मात्रा मिलियन टन में	शेयर :
1	रेलवे (आरसीआर सहित)	33.47	69.86
2	सड़क	7.08	14.79
3	एमजीआर	7.02	14.66
4	रोप	0.33	0.70
	कुल	**47.91**	

13. नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत हुई प्रगतिः

इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ता को मेरिट के आधार पर तथा उनके लिए लागू विनियामक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए चुना गया है।

विद्युत, सीमेंट एवं स्पांज आयरन क्षेत्र के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधिक) को उनकी कोयले की आवश्यकता के बारे में संस्तुति करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसी संस्तुति के आधार पर सीआईएल में आश्वासन पत्र संबंधी समिति (सीएलओए) कोयले की मात्रा का कंपनी–वार आबंटन करती है। कोयला कंपनियां आश्वासन पत्र जारी करती हैं जिसमें कोयला आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के लिए पात्र होने से पूर्व एलओए धारक को निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य दिए गए होते हैं। वर्तमान सभी वैध उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति को विधिक रूप से ईंधन आपूर्ति करार के अंतर्गत लाया गया है।

एनसीडीपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सीआईएल द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

कोल इंडिया लिमिटेड

क. लिंकेज प्रणाली को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) से बदला गया था। अक्टूबर, 2007 में एनसीडीपी लागू होने के पश्चात मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ 2008 में एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन एफएसए की अवधि 5 वर्षों के लिए थी, अधिकांश एफएसए समाप्त हो गए। उनमें से कुछ नवीकृत हो गए हैं अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। आज की तारीख में इन एफएसए में से, कोयला कंपनियों के पास विद्युत उपयोगिताओं के अलावा अन्य श्रेणियों में लगभग 140 एफएसए हैं।

एनसीडीपी के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2020 तक निष्पादित किए गए गैर–विद्युत एफएसए (मौजूदा और एनएओ रूट दोनों के तहत) की क्षेत्रवार स्थिति(अनंतिम) निम्नानुसार हैः–

क्षेत्र	मौजूदा (पूर्व एनसीडीपी)	एलओए के माध्यम से	कुल
सीपीपी	-	5	**5**
स्पांज आयरन	-	1	**1**
सीमेंट	-	1	**1**
अन्य	-	1	**1**
कुल सीआईएल	-	8	**8**

दिनांक 15.02.2016 की एनआरएस नीति के अनुसार पांच (5) वर्ष के आधार पर नवीकरणीय मौजूदा लगभग 14 मि.ट. के एसीक्यू हेतु 23 सीपीएसयू यूनिटों का लिंकेज मौजूद है।

ख. कैलेंडर वर्ष 2017 में एनसीडीपी के तहत गैर–विद्युत क्षेत्र के लिए कोई नया एफएसए निष्पादित नहीं किया गया है तथापि, गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोल लिंकेजध्एलओए की नीलामी के तहत निष्पादित एफएसए अलग से दिए गए हैं।

ग. विद्युत सेक्टर के लिए, 2009 से पूर्व टीपीपीएस के तहत 121 एफएसए आज की तारीख में मान्य हैं।

घ. राष्ट्रपति के दिनांक 17.07.2013 के निर्देशों के अनुसार, सीआईएल को 78535 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 173 टीपीपी हस्ताक्षरित करने थे, इनमें से 24 मामले टैपरिंग लिंकेजिंस के तहत शामिल थे, जो मौजूद हैं।

ङ. एनसीडीपी विद्युत संयंत्रों के बाद मान्य एफएसए की संख्या 143 है, जिनकी कुल क्षमता वार्षिक संविदाकृत मात्रा (एसीक्यू) 227 मि.ट. के लिए 66625 मेगावाट है।

च. राष्ट्रपति के दिनांक 17.07.2013 के निर्देश के तहत कोई नये एफएसए हस्ताक्षरित नहीं किए गए हैं। तथापि पीपीए की प्रस्तुति के कारण, एफएसए मात्रा 218.55 मीट्रिक टन की पूर्व मात्रा से बढ़कर 227 मि.टन हो गई है।

एनसीडीपी के लिए नई नीतियां

गैर–नियमित क्षेत्र उपभोक्ताओं के लिए लिंकेज नीलामी

सीआईएल कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 15.02.2016 के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–नियमित क्षेत्र के तहत स्पॉन्ज आयरन, सीमेंट, सीपीपी, 'अन्य (नॉन–कोकिंग)', इस्पात (कोकिंग) और' अन्य (कोकिंग)' के लिए कोल लिंकेज की नीलामी करती आ रही है। नीलामी के चार चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं जिसके द्वारा गैर–विद्युत अधिसूचित मूल्य से 20% की औसत प्रीमियम पर 80.5 मि.टन वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किए गए है। पांचवा चरण चल रहा है जिसमें इस्पात(कोकिंग) और स्पॉन्ज आयरन उप–क्षेत्रों की नीलामियां पूरी कर ली गई हैं। इस्पात (कोकिंग) उप–क्षेत्र के लिए नीलामी में इस्पात–क्षेत्र के एक उपभोक्ता द्वारा बिना किसी प्रीमियम के 1.3 मि.ट.प्र.व. का कोकिंग कोल लिंकेज बुक किया गया था। स्पंज आयरन उप–क्षेत्र लिंकेज नीलामी में 4.19 मि.ट.प्र.व. का कोयला लिंकेज बुक हुआ जिसके परिणामस्वरुप गैर–विद्युत अधिसूचित मूल्य से लगभग 19.2% औसत प्रीमियम मिला।

निष्पादन रिपोर्ट नीचे दी गई हैः–

उप–क्षेत्र	चरण–I	चरण–II	चरण–III	चरण –IV	कुल चरण I से IV		चरण– V	
	बुक की गई मात्रा (मि.ट.प्र.वर्ष)	बुक की गई मात्रा (मि.ट.प्र.वर्ष)	बुक की गई मात्रा (मि.ट.प्र.वर्ष)	बुक की गई मात्रा (मि.ट.प्र.वर्ष)	बुक की गई मात्रा (मि.ट.प्र.वर्ष)	गैर विद्युत के लिए अधिसूचित मूल्य की तुलना में%	लाभ बुक की गई मात्रा (मि.ट. प्र.वर्ष)	गैर विद्युत के लिए अधिसूचित मूल्य की तुलना में% लाभ
स्पॉन्ज आयरन	2.05	4.29	2.54	6.37	15.25	19.8	4.19	19.2
सीमेंट	0.68	0.77	0.12	4.26	5.83	19.2	संचालित किया जाना है।	
सीपीपी	18.07	8.18	4.59	15.90	46.75	18.7	संचालित किया जाना है।	
अन्य	1.34	1.27	0.67	6.00	9.28	34.2	संचालित किया जाना है।	
इस्पात (कोकिंग)	--	0.22	0.00	0.65	0.87	0.1	1.30	0.0%
अन्य (कोकिंग)	--	0.04	0.36	2.17	2.57	16.1	संचालित किया जाना है।	
योग	**22.14**	**14.76**	**8.28**	**35.35**	**80.53**	**20.2**	**5.49**	**10.4**

शक्ति के तहत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेज

विद्युत क्षेत्र के ऐसे विद्युत संयंत्रों, जिन पर दीर्घ–कालिक कोयला लिंकेज की आवश्यकता के कारण दबाव है, को एक पारदर्शी तरीके से भावी कोल लिंकेजेज का आबंटन करने हेतु कोयला मंत्रालय ने दिनांक 22.05.2017 को शक्ति नामक नीति ख्भारत में कोयले का पारदर्शी तरीके से दोहन और आबंटन की स्कीम शक्ति, की घोषणा की।

कोयला मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) रिपोर्ट की जांच करने के लिए गठित किए गए मंत्री समूहों (जीओएम) की सिफारिशों पर दिनांक 25.03.2019 को सरकार का अनुमोदन सूचित किया। तत्पश्चात शक्ति नीति का एक संशोधन कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2019 को जारी किया गया था।

शक्ति के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क (i): 7,210मे.वा. की कुल क्षमता वाले 10 विद्युत संयंत्रों के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी दी गई है।

ख (i): 23 थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) को कुल 25340 मे.वा. क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किए गए हैं।

ख (ii): शक्ति नीति के पैरा ख (ii) के तहत लिंकेज नीलामी सितंबर, 2017 में आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 9,045 मे.वा. क्षमता के लिए 10 सफल बोलीदाताओं द्वारा 27.18 मि.ट. के वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किए गए थे। ख(ii) नीलामी का दूसरा दौर सीआईएल द्वारा 24.05.2019 को संपन्न किया गया है। इस दूसरे दौर के दौरान 8 बोलीदाताओं द्वारा लगभग 874.9 मे.वा. की क्षमता के लिए 2.97 मि.ट. मात्रा के लिए वार्षिक लिंकेज बुक किए गए हैं। विद्युत वित्त निगम लिमिटेड (पीएफसीसीएल) को पैरा ख(ii) के तहत नीलामी के अगले दौर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। मई, 2020 के दौरान पीएफसीसीएल द्वारा नीलामी की गई है। 05 सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.8 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं।

ख (iii): शक्ति ख की लिंकेज नीलामी (ii) फरवरी, 2020 में दीर्घ/मध्यम कालिक नीलामी की गई थी। 11.8 एमटीपीए के कुल प्रस्ताव में से, 6.5 एमटीपीए को 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा बुक दिया गया था। औसत प्रीमियम में 8.5% की वृद्धि हुई थी।

ख (iv): गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए सीआईएल से क्रमशः 4000 मे.वा., 1600 मे.वा. और 2640 मे.वा. क्षमता के कोल लिंकेज प्रदान किए गए हैं।

ख (v): सीआईएल से 2500 मे.वा. क्षमता के कोल लिंकेज प्रदान किए गए हैं।

ख (viii) (क): अप्रैल–जून, 2020 के लिए नीलामी दिनांक 19.03.2020 को पूरी हो गई थी। सीआईएल द्वारा प्रस्तावित 5.77 मि.ट. कोयले में से अधिसूचित मूल्य पर 9 सफल बोलीदाताओं द्वारा 1.34 मि.ट. कोयला बुक किया गया था।

जुलाई–सितंबर, 2020 के लिए नीलामी दिनांक 13.07.2020 को पूरी हो गई थी। सीआईएल द्वारा प्रस्तावित 4.9 एलएमटी कोयले में से अधिसूचित मूल्यों पर 8 सफल बोलीदाताओं द्वरा 0.63 मि.ट. कोयले को बुक किया था।

अक्तूबर–दिसंबर, 2020 के लिए नीलामी दिनांक 15.09.2020 को पूरा हो गया है। सीआईएल द्वारा प्रस्तावित 5.89 मि.ट. कोयले में से, 6 सफल बोलीदाताओं द्वारा अधिसूचित मूल्य पर 0.35 मि.ट. कोयले को बुक किया गया था।

जनवरी–मार्च, 2021 के लिए नीलामी का कार्य दिनांक 21.12.2020 को पूरा हो गया है। सीआईएल द्वारा प्रस्तावित 5.97 मि.ट. कोयले में से, 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा 0.64 मि.ट. कोयले को बुक कर दिया गया है।

14. आयात प्रतिस्थापन

कोयला मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कोयले के आयातों में कमी करने के लिए उपायों पर अन्य मंत्रालयों के साथ बातचीत कर रहा है। कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर–मंत्रालीय समिति गठित की गई थी।

आईएमसी में विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, डीपीआईएफटी, सीईए, कोयला कंपनियों, पोर्टों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक आईएमसी की 8 बैठकें आयोजित की गई हैं। आईएमसी प्रशासनिक मंत्रालयों से एक बड़े मंच पर विचार–विमर्श करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है ताकि कोयले के आयात को समाप्त करने के लिए उनके संबंधित क्षेत्र के कोयला उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु उनका मार्गदर्शन किया सके। आईएमसी ने

सिफारिश की है कि प्रशासनिक मंत्रालय कोयला आपूर्तिकर्ता कंपनियों, कोयला ट्रांस्पोर्टर्स और कोयला मंत्रालय के साथ कोयला आयात प्रतिस्थापन में समस्याओं का समाधान करने के लिए, यदि कोई, हो, नियमित आधार पर उनके क्षेत्र के कोयला आयातकों के साथ संलगन होंगे। इन बैठकों में क्षेत्र विशेष कोयला संबंधित मुद्दों को समझने का अवसर और व्यक्तिगत कोयला उपभोक्ताओं को घरेलू कोयला प्रदान करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है।

वित्त वर्ष 2020–21 में, अप्रैल–दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के कोयला आयातों में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल–दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान ब्लेंडिंग के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र द्वारा कोयला आयातों में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 55 प्रशित की कमी आई है।

15. कोयला उपभोक्ता परिषद

उपभोक्ताओं की शिकायतों की मॉनीटरिंग तथा निवारण करने के लिए प्रत्येक कोयला कंपनी में क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने हेतु सीआईएल (मुख्यालय) में राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद की स्थापना की गई थी। यदि शिकायतों पर जवाब एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है अथवा शिकायतकर्ता कोयला कंपनी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उस मामले को राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद के पास भेजा जा सकता है। इन परिषदों का पुर्नगठन पिछली बार वर्ष 2010–11 के दौरान किया गया था।

तकनीकी नवाचारों और संचार के नए तरीकों को ध्यान में रखते हुए, कुछ वर्ष पहले शिकायतों के ई–फाइलिंग की सुविधा के लिए सीआईएल द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओएलजीएमएस) शुरू की गई थी। इस तरह के उद्देश्य के लिए एक अनुकूलित वेबसाइट विकसित की गई थी। इसके बाद, सीआईएल ने केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को अनुकूलित किया जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई थी। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में सीपीजीआरएएमएस के पीजी पोर्टल का उपयोग शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के लिए एकल खिड़की के रूप में किया जाता है। सीपीजीआरएएमएस को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद, कार्य के दोहरेपन से बचने के लिए ओएलजीएमएस को चरणबद्ध किया गया था। नोडल अधिकारियों की सूची और उनके संपर्क ब्यौरे के साथ वेब साईट में पीजी पोर्टल के लिए लिंक प्रदान किया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों को शामिल करते हुए एक वट्सअप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। साप्ताहिक आधार पर प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को शामिल करते हुए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा शिकायतों और इनके उत्तर की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। बिना किसी देरी के शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्रवाई की जाती है और इसके परिणाम को पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। अंतरिम उत्तर मांगे जाने पर, ऐसा उत्तर शिकायतकर्ता को भी भेजा जाता है।

कोयला कंपनियों से संबधित शिकायतों के मामले में, नोडल अधिकारी इन्हें संबंधित कोयला कंपनियों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने/कार्रवाई के लिए भेज देते हैं। टिप्पणियों/स्थिति प्राप्त होने के बाद जल्द ही शिकायतकर्ता को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया जाता है, इसलिए समस्या को समाप्त कर दिया जाता है। यदि यह समस्याएं सीआईएल के कुछ अन्य विभाग के कार्य से संबंधित होती हैं, तो इसे संबंधित विभाग को भेजा जाता है। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों का निपटान किया जा रहा है और उपर्युक्त सिस्टम के तहत इन शिकायतों का शीघ्रता और दक्षता से निपटारा किया जाता है।

*****